



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कमांक 3699 /अकादमी/17

भोपाल, दिनांक 23.11.2017

अधिसूचना

म.प्र. विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (तृतीय अनुसूची) की धारा 23(1) (उपांतरित) की कंडिका (दो) के प्रावधानानुसार कुलाधिपतिजी द्वारा निम्नांकित व्यक्तियों को विश्वविद्यालय की पुर्नगठित कार्यपरिषद में सदस्य नामनिर्देशित किया है :-

1. श्री शशि रंजन अकेला, उपनिदेशक, कालीदास अकादमी, उज्जैन ।
2. डॉ. मुकेश मिश्रा, निदेशक, दत्तोपंत ठेंगड़ी शोध संस्थान, ठेंगड़ी भवन भारत माता चौक, भदभदा रोड, भोपाल ।
3. डॉ. योगेन्द्र पयासी, अटल बिहारी बाजपेयी हिन्दी विश्वविद्यालय, भोपाल ।
4. श्री अजय सिंहल, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, बी-1, विवेक बिहार, ग्वालियर (म.प्र.)
5. श्री किशन सूर्यवंशी, सामाजिक कार्यकर्ता, बी-16, मनोरमा इन्क्लेव, वैशाली नगर, भोपाल
6. डॉ. मंजुला शर्मा, प्राचार्य, नूतन कालेज भोपाल ।

मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 52 के प्रावधान के अंतर्गत जारी अधिसूचना के समाप्त होने के साथ ही उपरोक्त नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों का विश्वविद्यालय की कार्यपरिषद के रूप में कार्यकाल समाप्त होगा।

आदेशानुसार

कुलसचिव

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल
भोपाल, दिनांक 23.11.2017

पृ.कमांक 3700/अकादमी /2017

प्रतिलिपि:-

1. समस्त संबंधित मानोनीत सदस्यों की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. राजपाल के उपसचिव राजभवन भोपाल म.प्र. की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
3. कुलपति के निज सचिव के माध्यम से कुलपतिजी को सूचनार्थ प्रेषित।
4. कुलसचिव के निज सहायक के माध्यम से कुलसचिवजी को सूचनार्थ प्रेषित।
5. संबंधित नस्ती ।

उप-कुलसचिव (अकादमी)
बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल